प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश
Directorate of Technical Education Uttar Pradesh
विकास भवन, कानपुर-208002
Vikas Bhawan, Kanpur-208002
वेबसाइट/website/Site : https://jaypee.gov.in/dte/dte/dte
दूरभाष/Phone [illegible] • फैक्स/Fax [illegible] • ई-मेल/E-mail [illegible]

: आदेश :

प्राविधिक शिक्षा (निदेशक केन्द्रीय) उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पालिटेक्निकों के समूह "ख" श्रेणी में तैनात निम्नलिखित प्रवक्ताओं को उनके नाम के समक्ष अंकित संस्था में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	तैनात करते हुए स्थानान्तरित किया जाता है	अनुमति
1.	[illegible] प्रवक्ता, गणित [illegible]	राजकीय पालिटेक्निक, कानपुर	राजकीय पालिटेक्निक, लखनऊ	राजकीय स्थानान्तरण नियमों के अनुसार कार्य।
2.	[illegible] प्रवक्ता, गणित [illegible]	राजकीय पालिटेक्निक, लखनऊ	राजकीय पालिटेक्निक, कानपुर	राजकीय स्थानान्तरण नियमों के अनुसार कार्य।

उपरोक्त कार्मिकों में से जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण नियमों के अनुसार नहीं है, उनसे किसी प्रकार का कोई पारस्परिक संबंध नहीं होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये प्रवक्ता कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति की अवधि किये और अविलम्ब कार्यमुक्त करके, उनकी नयी तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

अनुमन्य स्थानान्तरण आदेश की अवलोकन अनुशासनहीनता की श्रेणि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि प्रवक्ता कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय का प्रयास करेंगे, उनके इस कृत्य/आचरण की सम्बन्धी कार्यवाही अनुशासन नियमावली-1999 के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमन के सम्बन्ध में भी निर्णय किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कार्मिकों के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उनकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक-3/2018/1/3/ख-का-4-2018, दिनांक 19.03.2018 तथा पत्रांक-7/2021 संख्या-1/3/ख-का-4-2021, दिनांक 15.06.2021 में निहित प्रतिबन्धों/प्रतिबन्धों के परिपेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

(नरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

संख्या 1994-1293/3-सी-194(सी)/2021-22, कानपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, जोन भवन, लखनऊ को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, विकास भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, सीधे नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।